भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †270

उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2021 (बुधवार)

14 माघ, 1942 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रदत्त निधि में अनियमितता

†270. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

श्री दिलीप शइकीया:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को 2014 के पश्चात् आबंटित की गई निधि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान (31.12.2020 तक) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 13199.36 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक (31.12.2020 तक) की अवधि के दौरान राज्य सरकारों से 10230.25 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

(ग) से (च) मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत, चूंकि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निधियां हस्तांतरित की जाती हैं, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निधियों का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, निधियों के उपयोग में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं, जो इस मामले में उचित कार्रवाई करती हैं। गंभीर शिकायतों पर की गई कार्रवाई, साथ ही लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा बताई गई अनियमितताओं के संबंध में मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, और जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार को दोषी अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

****